

01222-272179

प्रेषक,

निदेशक / सभापति
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

मंजर,
आर्मी भर्ती कार्यालय,
लैन्सडौन, (उत्तराखण्ड)।

पत्रांक: 06(03)/280/16649 /2012-13 दिनांक 02 जून, 2012

विषय:- गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा संचालित विद्याविनोद परीक्षा की समकक्षता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त निषेधक, श्री अशोक बूगार, ग्राम उलना पो0 जवरडा, हरिद्वार ने अपने पत्र दिनांक 01-06-12 के द्वारा निदेशालय को अवगत कराया है कि उनका पुत्र अंकित सेना में भर्ती हेतु गया था, ए0आर0ओ0 द्वारा पुत्र को लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया कि विद्या विनोद की परीक्षा मान्य नहीं है तथा उनके द्वारा उक्त परीक्षा की मान्यता हेतु सूचित करने का निवेदन किया गया है। (प्रति संलग्न)

उपरोक्त के सन्दर्भ में सूचित है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम के अध्याय बारह प्रस्तर 14 (7) ग में वर्णित अतिरिक्त संस्थान क्रमांक-04 में अंकित "गुरुकुल विश्व विद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्या विनोद (इण्टरमीडिएट) परीक्षा (दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रति वर्ष उत्तीर्ण किया गया हो)" इण्टरमीडिएट के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।

संलग्न- उक्तवत्

भवदीय

(सी0एस0 ग्वील)

निदेशक / सभापति
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून